Economic times
27/2/13

मिलों से पेमेंट को तरस रहे गन्ना किसान

मोहम्मद तौसीफ आलम *मेरठ*

मेरठ डिविजन की चीनी मिलों पर किसानों की बड़ी रकम बकाया हो गई है। मिलों का कहना है कि बाजार में चीनी की बिक्री के आधार पर पेमेंट की जाती है। केन डिपार्टमेंट के मुताबिक, मिलों पर किसानों का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है और अगर पेमेंट में देरी जारी रही तो यह और बढ़ सकता है। मवाना शुगर्स लिमिटेड की यूनिट नागलमल शुगर कॉम्प्लेक्स के हेड एन एस बिर्दी ने बताया, 'हम लगातार किसानों को पेमेंट कर रहे हैं। फंड की कमी की वजह से मिलों पर बकाया रकम बढ़ गई है।'

अभी बैंक से मिलने वाले कैश क्रेडिट का इस्तेमाल कर पेमेंट की जा रही है। बैंक चीनी के स्टॉक की वैल्यू का 85 फीसदी तक उधार देते हैं।

एक बार कैश क्रेडिट लिमिट पूरी होने पर मिलें गन्ना खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल और उधार नहीं ले सकती। इसके बाद वे पेमेंट पर डिफॉल्ट करना शुरू कर देती हैं। मेरठ की मिलों का कहना है गन्ने के एसएपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी से समस्या और बढ़ गई है। बिर्दी ने कहा, 'साधारण गन्ने की कीमत 240 से बढ़ाकर 280 रुपए प्रति क्विंटल करने से मिलों को काफी मुश्किल हो रही है।' उनका कहना था कि एसएपी बढ़ने से भले ही किसान खुश हों लेकिन इससे किसानों और मिलों के बीच दूरी में इजाफा होगा।

600 करोड़ रुपए बकाया

मिलों पर किसानों का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है और अगर पेमेंट में देरी जारी रही तो यह और बढ़ सकता है। फंड की कमी की वजह से मिलों पर बकाया रकम बढ़ गई है

मिलों का नुकसान और बढ़ेगा और इसके बाद किसानों को पेमेंट में देरी होगी।

मेरठ के केन डिपार्टमेंट में डिप्टी केन कमिश्नर बी बी सिंह ने कहा, 'हम पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें किसानों को पेमेंट में देरी के साथ ही और मुद्दे भी शामिल हैं।' उनका कहना था कि पेमेंट देने की रफ्तार धीमी है और डिपार्टमेंट इसे लेकर मिलों पर नजर रख रहा है।

उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ने इथनॉल और शीरे जैसे गन्ने का बाय-प्रोडक्ट्स की बिक्री से मिलनी वाली रकम से मिलों को किसानों की पेमेंट करने को कहा है। उनका कहना था, 'अगर मिलों को चीनी बेचने से पैसा नहीं मिल रहा तो उन्हें इथनॉल और शीरा बेचकर फंड जुटाना चाहिए।'

किसानों और मिलों के पेमेंट को लेकर जारी विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। चौधरी अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल इसे लेकर काफी सक्रिय है। पार्टी के सदस्य राजकुमार सांगवान ने कहा कि शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर के तहत मिलों को सप्लाई के 14 दिनों में किसानों को पेमेंट मिल जानी चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो मिलों को हर हाल में किसानों को ब्याज देना होगा।